राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4( ) आकाशि / नि.सं. /21 / 338 दिनांक :- 12.3.2021

समस्त नोडल प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— सत्र 2021—22 के लिए निजी महाविद्यालय का निरीक्षण करने एवं निरीक्षण रिपोर्ट मय पत्रावली निर्धारित अवधि में आयुक्तालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश।

संदर्भः— समसंख्यक क्रमांक 294 दिनांक 22.10.2020 एवं 300 दिनांक 12.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से नियुक्त नोडल प्राचार्यो को लेख है कि निजी महाविद्यालय के निरीक्षण के कार्य को त्वरित, समयबद्ध एवं दक्षतापूर्वक करने हेतु अग्रलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

1. निरीक्षण करने से पूर्व निजी महाविद्यालय नीति 2021—22 का अध्ययन करलें।
2. त्रि—सदस्यीय निरीक्षण दलों का गठन करें।
3. निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए आवेदनों की संख्या 10 तक होने पर प्राचार्य स्वयं / वरिष्ठतम संकाय सदस्य के नेतृत्व में त्रि—सदस्यीय निरीक्षण दल का गठन करें। त्रि सदस्यीय निरीक्षण दल के गठन में वरिष्ठता के नियम की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
4. प्राप्त आवेदनों की संख्या 10 से अधिक होने पर प्रत्येक निरीक्षण दल को 10 के गुणक में निजी महाविद्यालय का आवंटन प्राचार्य स्वयं के स्तर पर करें।
5. यदि आपके महाविद्यालय मे निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु आवश्यक संकाय सदस्य पर्याप्त संख्या मे नही है तो इसकी व्यवस्था क्ि।ब के माध्यम से करवाएं।
6. निरीक्षण दल प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर, पूरा नाम व तथा मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से लिखें, नाम, पदनाम की सील भी लगावें।
7. प्रत्येक निरीक्षण दल के निरीक्षण करने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित प्राचार्य को प्रस्तुत करें तथा प्राप्त रिपोर्ट को आयुक्तालय को अविलम्ब प्रस्तुत करें।
8. प्राचार्य निरीक्षण दलों द्वारा किये जा रहे कार्यो का समन्वय करें एवं आयुक्तालय द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
9. ऑनलाईन आवेदन लॉक व सबमिट करने के **20 दिन** के अन्दर निजी महाविद्यालय का निरीक्षण कर आगामी **7 दिवस** में निरीक्षण रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण पत्रावली ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) आयुक्तालय को प्रेषित करें तथा निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन पोर्टल पर भी सबमिट करें।
10. स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र / अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक ऐसे निजी महाविद्यालय जिन्होने केवल निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र भरा है, तथा उन्होने किसी भी अन्य संकाय या विषय के लिए या अन्य किसी प्रकरण के लिए आवेदन नही किया है, उनका भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार शिक्षा के स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से निरीक्षण अनिवार्य है। ऐसे निजी महाविद्यालय से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी के साथ संलग्न चैक लिस्ट अनुसार निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट मय दस्तावेज पत्रावली के रूप में आयुक्तालय को प्रेषित करें।
11. निरीक्षण के समय यह अवश्य सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय को किसी पूर्व संचालित विषय / संकाय हेतु TNOC अभिवृद्धि / PNOC वांछित न हो। यदि महाविद्यालय को किसी भी प्रकार की NOC आवश्यक हो तो संबंधित प्रकरण हेतु निजी महाविद्यालय नीति अनुसार निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट मय समस्त दस्तावेज पत्रावली के रूप में **स्पष्ट अनुशंसा के साथ** आयुक्तालय को अविलम्ब प्रेषित करें।
12. यदि निजी महाविद्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन को अग्रेषित करने के लिए प्रस्तुत करता है तो उस आवेदन पत्र को अग्रेषित करें।

<u>ध्यान रहे यह एक समयबद्ध कार्य है इसमें कोताही न बरतें</u>।

संलग्नकः
बिंदु 10 हेतु चेक लिस्ट

12/03

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपिः—

1. वेबसाईट प्रभारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा शिक्षा जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
2. सचिव/प्राचार्य निजी महाविद्यालय को भेज कर लेख है कि स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र / अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक निजी महाविद्यालय जिन्होने केवल निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र भरा है, तथा उन्होने किसी भी अन्य संकाय या विषय के लिए या अन्य किसी प्रकरण के लिए आवेदन नही किया है, उनका भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार शिक्षा के स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से निरीक्षण अनिवार्य है। वे भी संलग्न चेकलिस्ट अनुसार निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक, (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

पूर्व संचालित महाविद्यालय जिन्होंने किसी भी अन्य संकाय, विषय के लिए या अन्य किसी प्रकरण के लिए आवेदन नही किया है उन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	विवरण
1.	निर्धारित शुल्क की रसीद
2	निजी महाविद्यालय नीति 2021–22 परिशिष्ट–6 में प्रबन्ध समिति की सूची(निर्वाचन तिथि सहित)
3.	समस्त अनापत्ति प्रमाण की प्रति
4.	मानदण्ड़ानुसार एफ.डी.आर. (एफ.डी.आर. महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक(नि.सं.) के संयुक्त नाम से होना आवश्यक है।
5.	भवन (निजी महाविद्यालय नीति 2021–22, परिशिष्ट–13)
6.	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
7.	महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक स्टॉफ का विवरण।
8.	गत सत्र का परीक्षा परिणाम।
9.	विश्वविद्यालय से संचालित विषय/संकाय हेतु प्राप्त अद्यतन संबंद्धता आदेश की प्रति।